2023 का विधेयक संख्यांक 109

[दि इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2017 का 33

'(1क) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से ही, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान मुंबई, "भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई" के नाम से ज्ञात होगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध उक्त संस्थान को लागू होंगे ।'।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) खंड (घ) में,—

"(क) "प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा निदेशक से भिन्न नियोजित प्रत्येक व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले परंतुक के उपबंध संस्थानों के निदेशकों को भी लागू होंगे ।";

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई के संबंध में धारा 4 और धारा 5 में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के संबंध में निर्देश का अर्थान्वयन—

(i) "इस अधिनियम के प्रारंभ से ही" ;

(ii) "ऐसे प्रारंभ से पूर्व" ;

(iii) "इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व" ; और

(iv) "इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व",

उस तारीख से किया जाएगा, जिसको भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ।'।

धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (2) के खंड (क) में, "बोर्ड द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "कुलाध्यक्ष द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि बोर्ड को ऐसी शर्तों या प्रक्रिया, जो विहित की जाए, के अधीन निलंबित या विघटित किया जाता है तो केंद्रीय सरकार छह मास की कालावधि या इस अधिनियम उपबंधों के अनुसार नियमित बोर्ड के गठन तक एक अंतरिम बोर्ड का गठन करेगी ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 10क का अंतःस्थापन ।

"10क. (1) भारत का राष्ट्रपति, प्रत्येक संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा । कुलाध्यक्ष ।

(2) कुलाध्यक्ष, किसी भी संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने तथा उसके कार्यों की जांच करने और उन पर ऐसी रीति में रिपोर्ट करने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश करे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, कुलाध्यक्ष को उस संस्थान, जो अधिनियम के उपबंधों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, के विरुद्ध जांच, जो उचित समझी जाए, के लिए भी सिफारिश कर सकेगा ।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रिपोर्ट में व्यौहार किए गए किसी भी विषय के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 12 का संशोधन ।

"(1क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, पद छोड़ने वाला सदस्य, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "नियुक्ति बोर्ड द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों" शब्दों के स्थान पर, "नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) निदेशक की नियुक्ति छानबीन-सह-चयन समिति, जिसका गठन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से की जाएगी :—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो छानबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) एक सदस्य, जिसको कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और

(ग) दो सदस्य, जिनको विख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से चुना जाएगा ।

(3क) निदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।"।

(ग) उपधारा (7) में, "बोर्ड," शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) किसी निदेशक की सेवा को कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समाप्त किया जा सकेगा ।"।

धारा 17 का लोप ।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला एक विख्यात व्यक्ति;";

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष, पदेन ;"।

धारा 34 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) वे शर्तें और प्रक्रिया जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड को धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन लंबित या विघटित किया जा सकेगा;

(कक) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन बोर्ड की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य;";

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(खक) धारा 16 की उपधारा (3क) के अधीन निदेशक की नियुक्ति के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया ;

(खख) धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निदेशक की सेवा की समाप्ति की रीति ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व ऐसे रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई का बोर्ड, उस रूप में कार्य करना तब तक जारी रखेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है किंतु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के ऐसे गठन पर, ऐसे गठन से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण करना समाप्त कर देंगे ;

(ङ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पूर्व राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के संबंध में गठित विद्या परिषद् तब तक कार्य करना जारी रखेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए नई विद्या परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है किंतु इस अधिनियम के अधीन नई विद्या परिषद् के ऐसे गठन पर राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई की विद्या परिषद् कार्य करना समाप्त कर देगी ;

(च) इस अधिनियम के अधीन जब तक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के संबंध में प्रथम विनियम बना नहीं दिए जाते हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के नियमों और उपनियमों का, जो भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को, यथावश्यक उपांतरणों और

अनुकूलनों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, लागू रहना जारी रहेगा ।"।

अनुसूची का संशोधन ।

12. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से ही, मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"21.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।	मुंबई	भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को कतिपय प्रबंध संस्थानों को प्रबंध, प्रबंध अनुसंधान और अनुषंगी ज्ञान के क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता के मानक हासिल करने के लिए इन संस्थानों को सशक्त करने हेतु, राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. वर्ष 1961 में, भारत सरकार ने कलकत्ता और अहमदाबाद में दो भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया । इन विशेषज्ञ संस्थानों की भारत में प्रबंध प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए परिकल्पना की गई थी । ऐसे संस्थानों की मांग में वृद्धि होने के कारण बंगलौर, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोडे में चार और भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे । 11वीं योजना में, शिलांग, रांची, रोहतक, रायपुर, काशीपुर, तिरुचिरापल्ली और उदयपुर में सात नए भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे । वर्ष 2015-16 के दौरान, अमृतसर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर और विशाखापट्टनम में सात और भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए । तत्पश्चात्, अधिनियम ने संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने, संस्थानों के शासन को एकसमान बनाने और बोर्ड चालित करने के लिए सशक्त बनाया तथा उन्हें शैक्षिक स्वायतता का प्रयोग करने में समर्थ बनाया ।

3. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई, जिसे वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, अपनी तकनीकी - प्रबंधकीय सुदृढ़ता और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान के लिए भली प्रकार से जाना जाता है । तथापि, संस्थान संसद् के किसी अधिनियम का भाग नहीं है, उसने अनेक चुनौतियों का अनुभव किया है । देश में शीर्षस्थ प्रबंध संस्थानों में से लगातार एक होने के बावजूद वह डिग्रियां प्रदान करने में असमर्थ है, जो संस्थान के पणधारियों की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से, विशेषकर विधार्थियों को, प्रभावित करता है । ऐसी परिसीमाओं पर ध्यान संस्थान के अधिनियम की परिधि में आने पर दिया जाएगा, क्योंकि वे अधिनियम के अधीन सभी भारतीय प्रबंध संस्थानों के समान डिग्रियां अनुदत्त करने में समर्थ होंगे । इस परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को अधिनियम के अधीन लाने के लिए साध्यता और वांछनीयता पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने उक्त संस्थान को अधिनियम में सम्मिलित करने की सुदृढ़ सिफारिश की है ।

4. उपर्युक्त के आलोक में वर्तमान विधेयक, अर्थात् भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023, भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए है ।

5. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 की अन्य बातों के साथ, मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) अधिनियम में धारा 4 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान मुंबई, 'भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई' के नाम से ज्ञात होगा और भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 के सभी उपबंध ऐसे संस्थान को लागू होंगे;

(ii) अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शासी बोर्ड के अध्यक्ष को कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा

और यह केंद्रीय सरकार को उक्त शासी बोर्ड के निलंबन या विघटन की दशा में एक अंतरिम बोर्ड गठित करने के लिए सशक्त करेगा ;

(iii) नई धारा 10क अंत:स्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा ;

(iv) अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संस्थान के निदेशक की नियुक्ति छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से की जाएगी, जिसका गठन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो उक्त धारा की उपधारा (3) में यथा वर्णित ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी ;

(v) "संस्थान के समन्वय मंच" से संबंधित अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विख्यात व्यक्ति उक्त मंच का अध्यक्ष होगा ; और

(vi) अधिनियम की अनुसूची का संशोधन करना, जिससे राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई ज्ञात करने के लिए संस्थानों की सूची में अंत:स्थापित किया जा सके, जो कि पारिणामिक प्रकृति का है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 जुलाई, 2023

धर्मेंद्र प्रधान

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पैंसठ करोड़ रुपए का सहायता अनुदान आबंटित किया गया है । इसे भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई हो जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए अस्सी करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । एक वर्ष के पश्चात् संस्थान को किसी सहायता अनुदान की मदद नहीं की जाएगी । अतः, भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा नहीं है । राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई अतिरिक्त आंतरिक प्रोद्भवन के माध्यम से इस अतिरिक्त रकम का सृजन करेगा ।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए विधेयक में अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि में से किसी अतिरिक्त वित्तीय व्यय, चाहे आवर्ती हो या अनावर्ती अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023, धारा 34 का संशोधन करने से संबंधित है । उक्त धारा, केंद्रीय सरकार को अधिनियम में वर्णित कतिपय विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा को केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी नियम बनाने के लिए सशक्त करने हेतु संशोधित करने का प्रस्ताव है, अर्थात् :—

(क) शर्तें और प्रक्रिया, जिनके अधीन रहते हुए धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड को निलंबित या विघटित किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 16 की उपधारा (3क) के अधीन निदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निदेशक की सेवाओं की समाप्ति की रीति ।

2. विषय, जिनके संबंध पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

* * * * * *

संस्थानों के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

* * * * * *

(घ) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समान संस्थान में उसी सेवा की अवधि के साथ, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी ऐसी सेवा की अवधि, उसका पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें विनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का उसको संदाय करके ऐसे नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अथवा किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी विद्यमान संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन, चाहे वह किसी भी शब्द रूप में हो, तत्समान संस्थानों के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा;

* * * * * *

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व, किसी विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

* * * * * *

अध्याय 3

संस्थान के प्राधिकरण

शासक बोर्ड ।

10. (1) * * * * *

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) बोर्ड द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

* * * * * *

16. (1) * * * * * निदेशक ।

(2) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली खेजबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी । यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो खोजबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) विख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से चुने गए तीन सदस्य :

परंतु जहां बोर्ड का, खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों से समाधान नहीं होता है, वहां वह खेजबीन-सह-चयन समिति से नए सिरे से सिफारिशें करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

* * * * * *

(7) बोर्ड, ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगा,—

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या

(ग) जो निदेशक के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिसके कारण निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है या स्वयं इस प्रकार आचरण किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है :

परन्तु निदेशक को, बोर्ड द्वारा संस्थित की गई ऐसी किसी जांच के पश्चात् , जिसमें निदेशक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

* * * * * *

17. (1) बोर्ड, ऐसे संस्थान के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, जांच आरंभ कर सकेगा, जो वह उचित समझे : जांच का आरंभ किया जाना ।

परन्तु ऐसी जांच किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ।

(2) बोर्ड ऐसी जांच के निष्कर्षों के आधार पर निदेशक को हटा सकेगा या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे और संस्थान, युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

* * * * * *

अध्याय 5

समन्वय मंच

समन्वय मंच की स्थापना ।

29. (1) * * * * *

(2) समन्वय मंच निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी खोजबीन-सह-चयन समिति, जिसका गठन समन्वय मंच द्वारा किया जा सकेगा, द्वारा चयनित कोई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, अध्यक्ष :

परन्तु समन्वय मंच अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने तक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चयन कर सकेगा;

* * * * * *

(घ) चक्रानुक्रम से, दो वर्ष के लिए, समन्वय मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्थानों के चार अध्यक्ष;

* * * * * *

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

34. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन बोर्ड की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ;

* * * * * *